



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18022026-270258
CG-DL-E-18022026-270258

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 797]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 16, 2026/माघ 27, 1947

No. 797]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 16, 2026/MAGHA 27, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2026

का.आ. 835(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट शामली - गोरखपुर एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड राष्ट्रीय राजमार्ग के किमी. 273.520 से किमी. 348.373 तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चार / छह लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन कि तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में शामली - गोरखपुर एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड राष्ट्रीय राजमार्ग के किमी 273.520 से
किमी 348.373 तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम								
1	2	3	4	5	6	7								
1	नगर मजिस्ट्रेट / सक्षम प्राधिकारी (भू०अ०), पीलीभीत	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या Greenfield Highway के कि.मी 290 से कि.मी 329.5 तक	उत्तर प्रदेश	पीलीभीत	बीसलपुर	<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>कबूलपुर</td></tr> <tr> <td>2</td><td>भसूडा</td></tr> <tr> <td>3</td><td>अमरा करोड़</td></tr> <tr> <td>4</td><td>मुडिया कुण्डरी ए०</td></tr> </table>	1	कबूलपुर	2	भसूडा	3	अमरा करोड़	4	मुडिया कुण्डरी ए०
1	कबूलपुर													
2	भसूडा													
3	अमरा करोड़													
4	मुडिया कुण्डरी ए०													

[फा. सं. 22022/1/2025/PIU-BRLY]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February 2026

S.O. 835(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 273.520 to Km. 348.373 of Shamli – Gorakhpur access controlled Greenfield National Highway for building (four-laning / six laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of UTTAR PRADESH

SCHEDEULE

Land acquisition on Km. 273.520 to Km. 348.373 of Shamli – Gorakhpur access controlled Greenfield National Highway in the State of UTTAR PRADESH.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7	
1	City Magistrate / CALA, Pilibhit	Greenfield Highway KM 290 TO KM 329.5	UTTAR PRADESH	PILIBHIT	Bisalpur	1	Qabulpur

[F. No. 22022/1/2025/PIU-BRLY]

SHAIKH AMINKHAN, Director